फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी :– नीमा सुरेन्द्र खण्डेलवाल पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कुडोली तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– अशोक पुत्र नथमल व अन्य जाति ब्राह्मण निवासीगण कुडोली तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या **240/2025** सन्–**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
04.12.2025	प्रार्थी नीमा सुरेन्द्र खण्डेलवाल पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कुडोली तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अशोक पुत्र नथमल व अन्य जाति ब्राह्मण निवासीगण कुडोली तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद कुडोली पटवार हल्का पीड़वा तहसील छोटी खाटू के खसरा संख्या 15, 45, 563/45, 366, 377, 556/9, 08, 09, की भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनायें रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये [illegible] जावे। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.01.2026 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:56:23 IST
Reason: SelfAttested

30.12.25

प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया है साथ ही प्रकरण जरिये विड्रा खारिज करवाने का निवेदन किया है न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है प्रकरण जरिये विड्रो खारिज किया जाता है प्रकरण नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

नीमा

हर्षिता

Vikas

उपखण्ड अधिकारी,
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:56:23 IST
Reason: SelfAttested